Phone & Fax:- 01376-254062

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि., चम्बा टिहरी गढवाल।
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D.
CHAMBA (TEHRI GARHWAL) PIN- 249 145
Website-http://pwd.uk.gov.in I.D.-eicpwduk@nic.in E-Mail- eepwdchamba@rediffmail.com

पत्रांकः– 2242/ 13M.G. दिनांक 27/10/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनीकीरेती।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो. सं. 672/2012) (लम्बाई 4.775 किमी.) Proposal No- FP/UK/ROAD/32834/2018

सन्दर्भः– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोडद्व देहरादून के फाईल संख्या– 8बी./यू.सी.पी./06/148/2019/एफ0सी0/969 दिनांक 17.08.2020 द्वारा Proposal No- FP/UK/ROAD/32834/2018 में लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा वन भूमि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नवत निराकरण कर एवं ऑन लाईन Additional information Details में संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

Sl. No	EDS	Clearification/Answer
1	Vide point no. 01 of EDS letter, State Government was requested to examine the proposal and submit the detailed justification for the requirement of the road but the State Government only submitted that 'user agency informed that 1440 population will be benefited from the road. State Government may submit the reasonable justification for locating the project in reserve forest land where 721 trees including 484 Banj trees are coming in the alignment and whether the trees being felled can be reduced.	इस मोटर मार्ग के बनने से इस क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकास होगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में उत्पादित होने वाली फसलों को स्थानीय बाजार तक पुहँचाने में सुविधा होगी जिससे कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित फसलों का उचित मूल्य मिलेगा एवं उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। सामाजिक स्तर पर लोगों को आने–जाने मे पैदल ही कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे उनके सामाजिक जीवन स्तर में भी लगातार कमी आ रही है। चिकित्सा सुविधाओं हेतु क्षेत्र वासियों को अपने गांव से सड़क तक कई किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर सडक तक पंहुचाया जाता है। जिससे उनको समय पर चिकित्सा सुविधा नही मिल पाती है तथा हमेशा जन हानि का खतरा बना रहता है। यह क्षेत्र चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के समीप से लगता हुआ है इस मोटर मार्ग के बनने से निश्चित रूप से पर्यटन की अपार सम्भावनायें बनेंगी। इस क्षेत्र के निकट ही मॉ सुरकण्डा देवी का प्रसिद्व मन्दिर है जो कि आस्था के साथ–साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल है। इस मार्ग के बनने से स्थानीय ग्राम मॉ सुरकण्डा देवी मन्दिर से जुड़ जायेंगें। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उपरोक्त क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये इस मोटर मार्ग का बनना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में डा0 धन सिंह नेगी मा0 विधायक टिहरी विधानसभा क्षेत्र ने भी अपने पत्रांक 1718/वी0आई0पी0/व0विभाग/2020 दिनांक 07.09.2020 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को इस सड़क की महत्ता के दृष्टिगत स्वीकृति प्रदान करवाने हेतु लिखा गया है। इस मोटर मार्ग के सर्वेक्षण हेतु वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के समय कई विकल्पों पर विचार किया गया, चूंकि यह ग्राम /तोकें अपने चारों दिशाओं से आरक्षित वनक्षेत्र से घिरी हुंई हैं अतः इन्हें सड़क मार्ग सुविधा प्रदान करने हेतु आरक्षित वनभूमि से होकर ही संरेखण करना बाध्यता है। संयुक्त निरीक्षण के समय विचार किये गये संरेखणों में इस सरेंखण पर न्यूनतम वनक्षेत्र एवं न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।मूल रूप से उक्त संरेखण पर कुल 605 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, उक्त में 0–10 व्यास के वृक्षों की संख्या 116 को सम्मलित करते हुए कुल 721 वृक्षों का पातन उक्त आबादी को सड़क सुविधा प्रदान करने हेतु न्यूनतम है। प्रभावित हो रहे बॉज वृक्षों की कुल संख्या 484 में से 101 वृक्षों का व्यास 0–10 के बीच है। जो कि उक्त ग्रामों को सड़क संयोजकता से जोड़ने हेतु न्यूनतम है।

Sl. No	EDS	Clearification/Answer
2	In reply to point no. 02, location of the beneficiary village (s) still not marked in the KML file State Government may mark the location of beneficiary villages on the KML file and upload the same at para C (ii) b of Part I.	के0एम0एल0 फाईल में लाभान्वित होने वाले ग्रामों को अंकित कर para C (ii) b में अपलोड कर दी गयी है।
3	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें :—	
	(i) समस्त ग्राम/तोक की पृथक–पृथक जनसंख्या की जानकरी प्रस्तुत की जाये तथा समस्त ग्राम एवं तोक को (अलग–अलग) के0एम0एल0 फाईल पर अंकित किया जायें।	(i) इस मोटर मार्ग से काणाताल, सनगांव, रतनाली तोक लाभान्वित होंगे जो कि सौड़ ग्राम सभा के अन्तर्गत आते हैं जिनकी कुल आबादी 1440 है जो कि प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इनको के0एम0एल0 फाईल में अंकित कर दिया गया है।
	(ii) प्रशासनिक स्वीकृति 8 किमी0 लम्बाई के मार्ग एवं 12 मी0 span के पुल की जारी की गई है जबकि प्रस्तावित मार्ग पर कहीं भी पुल निर्माण की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के संदर्भ में प्रस्तावित मार्ग की स्थिति का पुनः परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की जायें।	(ii) इस मोटर मार्ग के प्रारम्भिक सर्वेक्षण में 8 किमी0 लम्बाई तथा 12 मीटर स्पान पुल की आवश्यकता थी जिस कारण प्रशासनिक स्वीकृति 8 किमी0 लम्बाई एवं 12 मीटर स्पान की जारी की गयी है। किन्तु विस्तृत सर्वेक्षण में लाभान्वित होने वाले ग्रामों की अधिकांश आबादी को संयोजकता प्रदान करने तथा वन भूमि की क्षति को न्यूनतम रखने के दृष्टिगत मात्र 4.775 किमी0 लम्बाई में ही मोटर मार्ग निर्माण किया जायेगा। जिस पर समस्त ग्रामवासी भी सहमत हैं। वन भूमि की स्वीकृति के पश्चात मात्र 4.775 किमी0 लम्बाई का ही विस्तृत आगणन वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।
	(iii) वर्तमान के0एम0एल0 फाईल पर कोई भी alternative अंकित नही किया गया है। अतः राज्य सरकार पुनः परीक्षण कर alternate प्रस्तुत करें ताकि बॉज वृक्षों के पातन को कम कर न्यूनतम किया जा सके।	(iii) KML File में alternative alignment अंकित कर दिया गया है। alternative alignment में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्तावित संरेखण से अधिक है। इस मोटर मार्ग हेतु यही एक मात्र विकल्प है, जिस पर तुलनात्मक कम वन भूमि तथा कम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत कराने की आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

27/10/2020

(एन0एस0 खोलिया)
अधिशासी अभियन्ता

27/10/2020

पत्रांक —— /13 एम0जी0 तददिनांक

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता चतुर्थ निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— श्री महावीर सिह नेगी, वन भूमि सहायक, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता